बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

पत्र संख्या-सू0को0सं0-22-173/14...565......./जे0, (लो0सू0)

प्रेषक,

नीलम कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना।
2. महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना।
3. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार।
4. सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना।
5. महाप्रशासक एवं राजकीय प्रन्यास, समाहरणालय, पटना।
6. निदेशक, बिहार न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, गुलजारबाग, पटना।
7. सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्धमार्ग, पटना।
8. स्थानीय आयुक्त, सम्पर्क कार्यालय, (विधि विभाग), बिहार भवन नई दिल्ली।
9. विधि बोधक कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
10. अधीक्षक, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना।
11. अध्यक्ष, बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद मकान नं0-03, द्वितीय तल, रोड नं0-10ए0, रिजर्व बैंक कॉलोनी के सामने राजेन्द्र नगर, पटना।

विषयः- राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना द्वारा दिये गये निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंगः- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-21/रा0सू0आ0-02/2019, सा0प्र0-13600, दिनांक 01.10.2019 एवम् पत्रांक-13601, दिनांक-01.10.2019

पटना दिनांक...14-11-19..

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-21/रास0आ0-02/2019, सा0प्र0-13600, दिनांक-01.10.2019 एवं पत्रांक-13601, दिनांक-01.10.2019 की छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा क्रमशः दिनांक-06.09.2019 एवं 05.09.2019 को पारित आदेश में दिये गये निदेशों का अनुपालन अपने क्षेत्राधीन सभी लोक सूचना पदाधिकारी से कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0ः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

14.11.19

(नीलम कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
सह-लोक सूचना पदाधिकारी

D:\Pushpa\Nilam Maidam\Suko Genral.Docx

पत्रांक–21 / रा॰सू॰आ॰–02 / 2019,सा॰प्र॰ 13600/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामबिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 1.10.19

विषयः– **राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या–122525/2014-15 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद में राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–06.09.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पारित आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को भेजते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु॰:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(रामबिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना
22 OCT 2019

राज्य सूचना आयोग
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष–2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स–2235466

वाद सं०–122525/14–15
श्री माहताब आलम सिद्दीकि
बनाम्
प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज

06.09.19

1. अपीलार्थी उपस्थित। श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैकुण्ठपुर, गोपालगंज सह लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित। श्री दारोगा प्रसाद, कार्यवाहक सहायक, प्रखंड कार्यालय विजयीपु (तत्कालीन कार्यवाहक सहायक प्रखंड कार्यालय बैकुण्ठपुर, गोपालगंज) उपस्थित तथा उन्होंने अपन स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उनसे कभी भी स्पष्टीकरण की मांग नहीं की थी और न उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ अपनी गलती स्वीका किया है। श्री दारोगा प्रसाद द्वारा स्वीकार किया गया कि पत्रांक 202 दिनांक 12.2.19 उनके द्वारा तैया किया गया है। उनका कथन है कि सभी पंचायत सचिवों को वांछित सूचना संबंधी कागजात के साथ प्रखंड में उपस्थित रहने हेतु पत्रांक 202 दिनांक 12.2.19 द्वारा निदेशित किया गया था तथा इसक आलोक में आवेदक को पत्रांक 206 दिनांक 12.2.19 द्वारा प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना संबंधी संचिका/अभिलेख का अवलोकन का अवसर दिया गया।

2. संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से माह अप्रैल 2008 से 2014 तक सभी पंचायतों में प्राप्त सूचना आवेदनों तथा उसमें आवेदकों द्वारा दिये गये शुल्क उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा ऐसे मामलों की सूचना की मांग की थी जिनमें आवेदकों को निःशुल्क सूचना प्रदान की गयी तथा आवेदकों द्वारा सूचना आवेदन के साथ जमा किये गये शुल्क को सरकारी हेड में जमा करने संबंधी सूचना की भी मांग की है। उनके द्वारा यह भी सूचना मांगी गयी है कि जो सूचनायें निःशुल्क प्रदान की गयी उसका व्यय किस मद से किया गया।

3. उक्त सूचना की मांग दिनांक 14.2.14 को की गयी थी। आयोग द्वारा नोटिस निर्गत किये जाने के उपरान्त लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक को पत्रांक 206 दिनांक 12.2.19 द्वारा मांगी गयी सूचना संबंधी संचिका/अभिलेख के अवलोकन प्रखंड कार्यालय में आ कर करने का अवसर प्रदान किया गया। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करने हेतु पत्रांक 202 दिनांक 12.2.19 तथा पत्रांक 627 दिनांक 28.4.19 द्वारा सभी पंचायत सचिवों को निदेशित किया गया कि वे आवेदक को अपने पंचायत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति प्रखंड कार्यालय में जमा करें। पत्रांक 637 दिनांक 9.4.19 द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी ने पंचायत सचिवों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति आवेदक को प्रेषित की गयी है।

4. उक्त पत्र के साथ संलग्न सूचना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सारे पंचायत सचिवों के अनुसार वर्ष 2008 से 2014 तक उनके पंचायत में कोई सूचना आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और न किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त हुआ था। पंचायत सचिवों के उक्त प्रतिवेदन अधिकाशं एक ही व्यक्ति के हस्तलिखित में प्रतीत होता है तथा इस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक को संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा गलत सूचना प्रेषित की गयी। उल्लेखनीय है कि यदि प्रखंड कार्यालय में वांछित सूचना संबंधी कोई संचिका/अभिलेख उपलब्ध नहीं था तो आवेदक को पत्रांक 206 दिनांक 12.2.19 द्वारा वांछित सूचना संबंधी कागजात/अभिलेख के अवलोकन के लिए प्रखंड कार्यालय में बुलाया जाना सर्वथा भ्रामक एवं दुर्भावनापूर्वक प्रेषित पत्र है। उक्त पत्र में यह भी अंकित है कि अगर अवलोकन से सन्तुष्टि मिलता है तो आवश्यकता पड़ने पर आवेदक को छायाप्रति उपलब्ध कराया जायगा।

5. इस सन्दर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा उन्होंने पत्रांक 98 दिनांक 25.6.19 द्वारा प्रतिवेदित किया कि श्री दारोगा प्रसाद, कार्यवाहक सहायक ने उक्त पत्र उनके समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया तथा उन पर विश्वास करते हुए पत्रांक 206 दिनांक 12.2.19 पर हस्ताक्षर किया।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम एक जनोपयोगी कानून है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को सरकारी कार्य की जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिनियम के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि नागरिकों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना लोक सूचना पदाधिकारी का एकल दायित्व नहीं

अपितु, यह किसी लोक प्राधिकार के सारे पदाधिकारियों/कर्मचारियों का संस्थागत कर्त्तब्य है। अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार सूचना प्रदान करने में यदि पदाधिकारी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी से सहयोग की मांग करता है तो ऐसा पदाधिकारी/ उसे वांछित सहयोग प्रदान करेगा। धारा 5(5) के अनुसार ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जिनसे लोक पदाधिकारी ने सहयोग मांगा हो, के कारण अधिनियम के किसी प्रावधान की अवहेलना होने पर उसे लो सूचना पदाधिकारी मानते हुए दण्डित किया जा सकता है।

7. इस वाद के तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी उसके अवलोकन के लिए आवेदक को दुर्भावनापूर्वक पत्र प्रेषित किया गया तथा संबंधित कार्यवाहक सहायक ने इस संबंध में लोक सूचना पदाधिकारी को सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया और न वांछित सहयोग प्रदान किया ।

8. तद्नुसार श्री दारोगा प्रसाद, कार्यवाहक सहायक, प्रखंड कार्यालय विजयीपुर,गोपालगंज (तत्कालीन कार्यवाहक सहायक प्रखंड कार्यालय बैकुण्ठपुर, गोपालगंज) को इस वाद में धारा 5(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी मानते हुए उनके विरूद्ध 15,000/–(पन्द्रह हजार) रू0 अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित किया जाता है जो उनके वेतन से वसूलनीय होगा।

9. पंचायत सचिवों का यह तर्क कि वर्ष 2008 से 2014 तक पंचायतों में कोई सूचना आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और न कोई सूचना आवेदन संबंधी शुल्क जमा हुआ प्रथम दृष्टया यह सत्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसी प्रकार सूचना आवेदनों के साथ दाखिल किये गये शुल्क की पूर्नविनियोग की सम्भावना प्रतीत होता है।

10. उक्त परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को धारा 20(2) सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुशंसित किया जाता है कि वे उच्च पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में तीन माह के अन्तर्गत जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

वांछित सूचना को तत्कालिक तौर पर अनुपलब्ध मानते हुए इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, गोपालगंज तथा कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित किया जाय।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की कंडिका 6 से प्रत्येक लोक प्राधिकार व उसमें कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने की व्यवस्था करें।''

ह0/–
(ओम प्रकाश)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक : 4832 /रा0सू0आ0 पटना, दिनांक– 19/9 2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज**(प्रपत्र–क की छाया प्रति के साथ)**/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज**(प्रपत्र–क की छाया प्रति के साथ)**/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज/**श्री दरोगा प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यवाहक सहायक, प्रखंड–विजयीपुर, गोपालगंज**/श्री माहताब आलम सिद्दीकि, ग्राम–सिरसा, पो0–दिघवादुबौली, जिला–गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9

(राम बालक ठाकुर)
प्रधान आप्त सचिव

16.09.2019 13/09

संख्या- [illegible]/सू.अ.- 02/2018 सा.प्र. 13601/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामबिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 1-10-19

विषयः– **राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या–C 407/2019 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद में राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–05.09.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पारित आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को भेजते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु.:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(रामबिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

M B V, FEBRUARY

राज्य सूचना आयोग।
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष—2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स—2235466

वाद सं०—C 407/2019

श्री संजय कुमार

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय / लोक सूचना पदाधिकारी—सह—सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया, लखीसराय

05.09.19 " शिकायतकर्त्ता उपस्थित। श्री शिव प्रकाश, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया सह लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित तथा उन्होंने कार्यालय महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता,भागलपुर के आदेश सं0 321 दिनांक 10.11.2008 की छायाप्रति अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जिसके द्वारा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र भागलपुर के अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना उपलब्ध कराने हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता को उनके विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का लोक सूचना पदाधिकारी एवं सभी सहायक विद्युत अभियंताओं को उनके विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल का सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. यह वाद धारा 18 सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत है।

3. आवेदक के शिकायत आवेदक के अनुसार उन्होंने अपना सूचना आवेदन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बडहिया को सूचना प्रेषित किया था तथा सहायक विद्युत अभियंता ने पत्रांक 275 दिनांक 17.1.19 द्वारा उनका सूचना आवेदन इस आधार पर वापस कर दिया कि वे मांगी गयी सूचना को प्रदान करने के प्रति सक्षम नहीं हैं तथा प्रमंडल स्तर पर विद्युत कार्यपालक अभियंता सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। आवेदक के अनुसार यदि सहायक विद्युत अभियंता लोक सूचना पदाधिकारी नहीं थे तो उन्हें सूचना आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ सूचना प्रदान करने हेतु स्थानांतरित करना चाहिए था तथा सूचना आवेदन को लौटाते हुए सहायक विद्युत अभियंता ने सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया है जिसके लिये उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि आवेदक को इस आयोग द्वारा नोटिस निर्गत होने के उपरान्त पत्रांक 386 दिनांक 25.6.19 द्वारा वांछित सूचना प्रदान की जा चुकी है।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचना प्रदान करने हेतु लोक सूचना पदाधिकारी नामित करेगा तथा अनुमंडल स्तर पर सूचना आवेदनों को प्राप्त करने हेतु सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को नामित किया जायगा ताकि वे सूचना आवेदनों को प्राप्त कर लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ स्थानांतरित कर सकें। धारा 5(2) परन्तुक के अनुसार जहाँ सूचना आवेदन, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को प्राप्त कराया जाता है तो वैसी स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने की अवधि में 5 दिन जोड़ दिया जायगा यानि लोक सूचना पदाधिकारी सूचना आवेदन प्राप्ति की तिथि से 35 दिनों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करायेंगे।

5. स्पष्ट है कि अधिनियम के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना पदाधिकारी किसी सूचना आवेदन को इस आधार पर वापस नहीं कर सकता है कि वह लोक सूचना पदाधिकारी नहीं है। अपितु अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का कार्य सूचना आवेदनों को प्राप्त कर, उसे पांच दिनों के अन्तर्गत सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ सूचना प्रदान करने हेतु प्रेषित करना है।

[illegible] विद्युत अभियंता [illegible] सहायक लोक सूचना [illegible] ने अधिनियम की धारा 5(2) के अनुरूप कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया [illegible] कारण वर्णित करते हुए आवेदक के सूचना आवेदन को वापस कर दिया।

7. उक्त तथ्यों के आलोक में मैं यह पाता हूँ कि आवेदक का शिकायत आवेदन धारा 18 के अन्तर्गत स्वीकार करने योग्य है।

8. वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी ने पत्रांक 386 दिनांक 25.6.19 द्वारा आवेदक को वांछित सूचना प्रदान की है,। धारा 18/20 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, आवेदक का सूचना आवेदन अयुक्तियुक्त कारणों से लेने से इन्कार करने के लिए श्री शिव प्रकाश, सहायक विदुत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया,सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध 10,000/-(दस हजार)रू0 अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित किया जाता है जो उनके वेतन से वसूलनीय होगा।

9. इस आदेश की प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय तथा जिला पदाधिकारी, लखीसराय को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि की वसूली संबंधित सहायक विद्युत अभियंता के वेतन से करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा करें। तद्नुसार इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की कंडिका 4 व 5 के विषय में सभी लोक सूचना पदाधिकारियों व सहायक लोक सूचना पदाधिकारियों को अवगत करायें।''

ह०/-
(ओम प्रकाश)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक : 4787 /रा०सू०आ० पटना, दिनांक– 19/9 2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय**(प्रपत्र–क की छाया प्रति के साथ)**/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय**(प्रपत्र–क की छाया प्रति के साथ)**/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, लखीसराय**(प्रपत्र–क की छाया प्रति के साथ)/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया, लखीसराय**/श्री संजय कुमार, पिता–स्व० कपिलदेव सिंह, ग्राम+पो०–डुमरी, थाना–बड़हिया, जिला–लखीसराय–811302 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.9

(राम बालक ठाकुर)
प्रधान आप्त सचिव

12.09.2019 12/09